





## देश-विदेश



सेहन

मधुमहे से बचाए सेब में पाए र की कमी शरीर में पूरी करता है

## सुप्रीम कोर्ट ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी

## व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले में कोर्ट ले जल्द फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे मामले में जल्द फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की है जिसमें याचिकाकर्ता ने दो जून के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दो महीने के लिए टाल दी थी सुनवाई- हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की सुनवाई दो महीने के लिए टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जब स्वतंत्रता से

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता

जुड़ा हो तो सुनवाई जल्द होनी चाहिए। हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई दो महीने के लिए टाले जाने पर नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच के जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्ति इस बात को लेकर है कि अग्रिम जमानत की अर्जी जो उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई उसकी सुनवाई 31 अगस्त के लिए टाल

दी गई। और इस दौरान उन्हें कोई अंतरिम प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत की अर्जी को दो महीने के लिए टाला जाना सराहा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका 24 मई को दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट से आग्रह किया जाता है कि वह अग्रिम जमानत पर मेरिट पर जल्द फैसला ले। और कोशिश करे कि वह कोर्ट खुलने के तीन हफ्ते के भीतर फैसला ले। इस दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है।

मातुक  
निव



मुं  
डालते  
पर दां  
शिवसै  
इसके  
एक घ  
दफ्तर  
समेत  
लगे  
गए।  
विधा  
शामि  
मंजु  
बाद

## निविदा/नियुक्ति/जाहिरात

## NARMADA GELATINES LIMITED

Regd. Office : CARAVS, Room No 28, 15, Civil Lines, Jabalpur - 482001, Tel:0761-2830433, Fax :2830516  
Email :ngjbp@rediffmail.com website:www.narmadagelatines.com

CIN : L24111MP1961PLCO16023

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

The Rules, inter alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address. The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website at www.narmadagelatines.com. Shareholders are requested to refer to the Investor Information page on the website to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Company / Registrar and Transfer Agent (RTA) by 07.09.2022 with a request for claiming the unpaid dividend for the year 2014-15 onwards so that the shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no claim is made by 07.09.2022, the Company will be compelled to transfer the shares to IEPF, without any further notice.

It may also be noted that the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules. For any clarification on the matter, please contact the Company's RTA, M/s C B Management Services (P) Ltd, P-22 Bondel Road, Kolkata - 700019, Telephone No 033-2280 6692/4011 6700, Fax No 033-4011 6739, email: rta@cbmsl.com, website: www.cbmsl.com.

For NARMADA GELATINES LIMITED

Sd/-

Mahesh Verma

Chief Financial Officer

Place: Jabalpur  
Date: 20.06.2022

## न्यायालय श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ) गाडरवारा

श्रीमती आरती दीगरा जी

राजू मेहतर बगैर..... आवेदकगण

विरुद्ध

मुख्य नगर पालिका अधिकारी बगैर..... अनावेदक

सेक्शन प्रकरण क्रमांक 05अ/22

आ.दि. 15/6/2022 पे.दि. 06/07/2022

आम सूचना का इश्तिहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में आवेदकगण राजू मेहतर, जितेंद्र मेहतर दोनों पिता स्व. रामलाल जति मेहतर निवासी शिवजी बाई गाडरवारा तह. गाडरवारा जिला नर्सिंहपुर के माध्यम से धारा 372 उन्नाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्नाधिकारी प्रमाण पत्र लेने का प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगणों के द्वारा आवेदन पत्र में लेख किया गया है कि स्व. रामलाल आ. कड़ारी लाल मेहतर नगर पालिका गाडरवारा में सफाई कामगार का कार्य करते थे कार्यरत रहते, हूये उनका स्वर्गवास दिनांक 02/02/2019 में हो गया है एवं आवेदकगणों की मां सावित्री बाई का स्वर्गवास दिनांक 23/1/2013 में हो गया है। जिसमें आवेदकगणों के द्वारा अपने स्व. पिता रामलाल मेहतर के नाम से मिलने वाली राशियां उपदान, ग्रन्थुटी, अवकाश नगदीकरण राशियां का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें संबंधित विभाग से प्राप्त होने वाली राशियां के भुगतान हेतु उन्नाधिकारी प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर इस संबंध में कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार यदि कोई हित रखता है तो नियत पेशी पर उपस्थित होकर अपने अभिभावक/ अधिकारता के माध्यम से लिखित दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि न्यायलौन पेशी उपरांत दावा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो अमान्य मानी जावेगी। एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र रहेगा। अगर न्यायालय नियत पेशी पर अवकाश रहता है तो प्रकरण अगले दिन सुनवाई पर लिया जावेगा।

पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

जारी दिनांक- 20/6/22

गाडरवारा

(श्रीमती आरती दीगरा)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

गाडरवारा के न्याया. के प्रथम अति.

व्य. न्याया. वरिष्ठ खण्ड गाडरवारा,

जिला नर्सिंहपुर (म.प्र.)

बिह

राज

र

का रि

पार्टी

राजध

पापंट

राजद

एक

राज

तेज

कह

युव

रहे

हम

की

भर्ष

अ

सा

न